



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-28102025-267223
CG-TL-E-28102025-267223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4758]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947

No. 4758]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 27 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4909(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के एलूरु ज़िला में उंगुदुरु मंडल के कैकरम गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 364 के स्थान पर सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक है (एकड़ 6.875), इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर धारा 20डी की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, एलूरु, एलूरु जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा राजस्व मंडल अधिकारी, एलूरु, एलूरु जिला, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद,

और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

धारा 20(डी) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एलूरु ज़िले में उंगुदुरु मंडल के कैकरम गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 364 के स्थान पर सड़क ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु।

गांव का नाम: कैकरम: उंगुदुरु मंडल: एलूरु ज़िला						
मंडल का नाम	गांव का नाम	क्रम सं.	आर.एस नं	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6	7
उंगुदुरु	कैकरम	1	169	0.359	0.1452	जीडी
		2	170-1	0.685	0.2772	जीपी
		3	171	0.25	0.1012	जीडी
		4	177	0.157	0.06353	जीडी
		5	179-1	0.01	0.0040	जीपी
		6	179-2	0.04	0.0162	जीपी
		7	179-3	0.11	0.0445	ग्राम कांतम
		8	180-1	0.547	0.2214	ग्राम कांतम
		9	181-1	2.471	1.00	जीपी
		10	181-2			
		11	181-3			
		12	181-4			
		13	214	1.547	0.6260	जीपी
		14	222	0.001	0.0004	जीडी
		15	223	0.132	0.0534	जीडी
		16	224-1	0.566	0.2290	जीडी
		17	224-2B			
		18	224-2A			
		19	224			
			Total	6.875	2.782	

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.364/BZA-VSKP/BZA]

मनोज कुमार, सीई/ आरएसपी/एससी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 27th October, 2025

S.O. 4909(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.364 to an extent (Acres 6.875) in Kaikaram Village of Unguturu Mandal in Eluru District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer Eluru, Eluru District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer Eluru, Eluru District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing (LC) No. 364 in Kaikaram Village of Unguturu Mandal in Eluru District in the state of Andhra Pradesh.

Name of Village : Kaikaram : Unguturu Mandal : Eluru District						
Name of the Mandal	Name of the Village	Sl.No	R.S No	Extent (Approximately Land shown by SCR) Ac.Cts.	Extent area (in Hectare)	Classification of Land
1	2	3	4	5	6	7
Unguturu	Kaikaram	1	169	0.359	0.1452	GD
		2	170-1	0.685	0.2772	GP
		3	171	0.25	0.1012	GD
		4	177	0.157	0.06353	GD
		5	179-1	0.01	0.0040	GP
		6	179-2	0.04	0.0162	GP
		7	179-3	0.11	0.0445	Grama Kantam
		8	180-1	0.547	0.2214	Grama Kantam
		9	181-1	2.471	1.00	GP
		10	181-2			GP
		11	181-3			GP
		12	181-4			GP
		13	214	1.547	0.6260	GP
		14	222	0.001	0.0004	GD
		15	223	0.132	0.0534	GD
		16	224-1	0.566	0.2290	GD
		17	224-2B			
		18	224-2A			
		19	224			
			Total	6.875	2.782	

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.364/BZA-VSKP/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP